




राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)



MDM
31/8/20

क्रमांक:-एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एगडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2020-21/310 दिनांक- 31/8/20

जिला कलक्टर
जिला समस्त

विषय:- COVID-19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि (जुलाई, 2020 से अगस्त, 2020) में विद्यार्थियों को मिड डे मील योजनान्तर्गत खाद्यान्न (गेहूं / चावल) वितरण के सम्बन्ध में ।

प्रसाग- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अ.शा.पत्र संख्या 1-2 /2020 Desk (MDM) दिनांक 31.07.2020 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 51 दिनांक 10.06.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देशानुसार मिड डे मील योजनान्तर्गत COVID-19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि (माह जुलाई, 2020 से अगस्त, 2020) में मुख्य सचिव, महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 09.06.2020 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार ही राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक को विद्यालय में खाद्यान्न (गेहूं/चावल) वितरण किया जाना है।

विद्यालयों में वर्तमान में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक को खाद्यान्न सुव्यवस्थित ढंग से वितरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों का आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें। विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों को निम्नानुसार निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न (गेहूं/चावल) उपलब्ध कराया जाना है:-

क्र. सं.	माह का नाम	शैक्षणिक दिवस (AWP Plan)	कक्षा 1 से 5 के लिए खाद्यान्न (प्रति विद्यार्थी) (गेहूं/चावल)	कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए खाद्यान्न (प्रति विद्यार्थी) (गेहूं/चावल)
01	जुलाई, 2020	27	2 700 किलोग्राम	4.050 किलोग्राम
02	अगस्त, 2020	21	2 100 किलोग्राम	3.150 किलोग्राम
	योग		4.800 किलोग्राम	7.200 किलोग्राम

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा COVID-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशानुसार Social Distance Maintain करते हुये खाद्यान्न का वितरण किया जाये।



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)




इस अवधि के खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में शेष दिशा-निर्देश पूर्व पत्र संख्या 51 दिनांक 10.06.2020 के अनुसार यथावत रहेंगे।

— 54 —
(बाबू लाल मीणा)
आयुक्त
मिड डे मील

क्रमांक-एफ 4(142) प्रशिक्षण/एमडीएम/एफ.सी.आई / खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट / 2020-21 / दिनांक

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. संयुक्त सचिव (ईईआई), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. निदेशक, सरकृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त को निर्देशित है कि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
11. समस्त मुख्य क्लाक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
12. समस्त पर्यायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ)।
13. लेखा शाखा जिलों से खाद्यान्न की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर संधारण किया जाना सुनिश्चित करें।
14. प्रभारी आई.टी. सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।


अति.आयुक्त (वित्त)